

प्रेषक,

सन्तोष कुमार सक्सेना,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र० कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 जनवरी, 2013

विषय:- अंशकालीन अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक दरों का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23961/ई-प्लान-अतिथि व्याख्याता दिनांक 6-11-2012 के सदर्थ में तथा शासनादेश संख्या-1420/16 प्रा०शि०-3-2007-15(13)/07 दिनांक 28-11-2007 तथा शासनादेश संख्या-1577/16-प्रा०शि०-3-2007-15(13)/07 दिनांक 29-7-2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में संचालित राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत अंशकालीन अतिथि व्याख्याताओं को जो आवश्यक अर्हता रखते हैं, के पारिश्रमिक दरों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित किये जाने पर इस शर्त के साथ सहमत प्रदान करते हैं कि विभाग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने व लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा:-

क्रमांक	अर्हता	वर्तमान पारिश्रमिक दरें	संशोधित पारिश्रमिक दरें
1	बी०टेक०	थ्योरी कक्ष लेने हेतु रू० 140. /-प्रति लेक्चर तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु रू० 70/-प्रति पीरियड की गणना के आधार पर अधिकतम रू० 10,000/-प्रति माह	थ्योरी कक्ष लेने हेतु रू० 300/- प्रति लेक्चर तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु रू० 150/- प्रति पीरियड की गणना के आधार पर अधिकतम रू० 12,000/-
2	एम०टेक	थ्योरी कक्षा लेने हेतु रू० 160/- प्रति लेक्चर तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु रू० 80/-प्रति पीरियड की गणना के आधार पर अधिकतम रू० 12,000/-प्रति माह	थ्योरी कक्षा लेने हेतु रू० 350/- प्रति लेक्चर तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु रू० 170/- प्रति पीरियड की गणना के आधार पर अधिकतम रू० 15,000/- प्रतिमाह

श्री कर्माजी
17/2

56

AD(K)
श्री. जे. यशवि

1672
28/11/13

ह. विद्योवन/अध्यापक/कानपुर
K. K.

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-47 के लेखाशीर्षक-2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर के मानक मद "16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-20/दस-2013 दिनांक 10 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
 - 2- वित्त नियंत्रक, निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर।
 - 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद (द्वारा निदेशक)
 - 4- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक। (द्वारा निदेशक)
 - 5- क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग।(द्वारा निदेशक)
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
 - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
अनुसचिव।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: 37365-466ई-प्लान-अतिथि व्या0

कानपुर दिनांक: 14.02.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अनुसन्धित उ0प्रशासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 विद्यानभवन दरभंगा
- 2- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य/पश्चिमी/पूर्वी/बुज्जेलखण्ड क्षेत्र।
- 3- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाएँ।

K.Gan

(कल्पना गौड़)

उपनिदेशक,

प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।